न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 533/2024

अनवान : –

1. विक्रम सिंह पुत्र पवन कुमार जाति जाट निवासी दिलकी जाटान तहसील नोहर।
2. अजीत सिंह पुत्र पवन कुमार जाति जाट निवासी दिलकी जाटान तहसील नोहर

– वादीगण

बनाम्

1. पवन कुमार पुत्र धर्मपाल जाति जाट निवासी दिलकी जाटान तहसील नोहर।
2. लीलाधर पुत्र धर्मपाल जाति जाट निवासी ढिलकी जाटान तहसील नोहर
3. गिरदावरी पत्नि धर्मपाल जाति जाट निवासी दिलकी जाटान तहसील नोहर
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
5. पंजीयक कार्यालय उप तहसील रामगढ़ तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री कुलदीप खुडिया अधिवक्ता **वादी**
श्री मांगेराम गोदारा अधिवक्ता प्रतिवादीगण
पेरोकार राज

निर्णय दिनांक: 01/07/2025

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा चक 10 जी.जी.एम तहसील नोहर के खाता. सं. 38/37 प.न. 383/470 मु.न. 24 के किला नं. 9/1 की 0.0380 हैक्टर, 11/2 की 0.1770 हैक्टर भूमि, 12/2 की 0.1890 हैक्टर, 13/2 की 0.1900 हैक्टर, 14/2 की 0.1890 हैक्टर, 15/1 की 0.1740 हैक्टर, 15/2 की 0.0160 हैक्टर भूमि कुल 7 किता की 0.9730 हैक्टर भूमि स्थित है जिसमें प्रतिवादी सं. 1 का 1/3 हिस्सा एवं प्रतिवादी सं. 2 का 1/3 हिस्सा एंव ' प्रतिवादी सं. 3 का 1/3 हिस्सा, भूमि एवं ढिलकी जाटान तहसील नोहर के खाता सं. 62/74 के ख.न. 38 की 6.8060 हैक्टर भूमि स्थित है जिसमें प्रतिवादी सं. 1 का 1/30 हिस्सा एवं प्रतिवादी सं. 2 का 1/30 हिस्सा, एवं प्रतिवादी सं. 3 का 1/30 हिस्सा भूमि का खातेदार काश्तकार है, एवं रोही मौजा चक 9 जी.जी.एम. तहसील नोहर के खाता सं. 34/34 के प.न. 386/437 मु.न. 58 किला नं. 2 की 0.2530 हैक्टर भूमि स्थित है जिसमें प्रतिवादी सं. 1 अकेला 1/3 हिस्सा भूमि, प्रतिवादी सं. 2 अकेला 1/3 हिस्सा, एवं प्रतिवादी सं. 3 अकेला 1/3 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार है।

उपरोक्त कृषि भूमि पूर्व में वादीगण के दादा धर्मपाल के नाम दर्ज थी तथा वादीगण के दादा धर्मपाल की मृत्यु के बाद उनके वारिसान उनके पुत्रगण एवं पत्नि के नाम दर्ज हुई तथा प्रतिवादी सं. 1 के हिस्से में रोही मौजा चक 10 जी.जी.एम तहसील नोहर के खाता सं. 38/37 की कुल 7 किता की 0.9730 हैक्टर भूमि जिसमें प्रतिवादी सं. 1 का 1/3 हिस्सा भूमि, प्रतिवादी सं. 2 अकेला 1/3 हिस्सा, एवं प्रतिवादी सं. 3 अकेला 1/3 हिस्सा भूमि एवं रोही मौजा दिलकी जाटान तहसील नोहर के खाता सं. 62/74 की ख.न. 38 की 6.8060 हैक्टर भूमि जिसमें प्रतिवादी सं. 1 का 1/30 हिस्सा भूमि, प्रतिवादी सं. 2 का 1/30 हिस्सा भूमि, प्रतिवादी सं. 3 का 1/30 हिस्सा भूमि एवं रोही मौजा चक 9 जी.जी.एम. तहसील नोहर के खाता सं. 34/34

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.07.16 18:10:08 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

की कुल तादादी 0.2530 हैक्टर भूमि में से प्रतिवादी सं. 1 का 1/3 हिस्सा भूमि प्रतिवादी सं. 2 का 1/3 हिस्सा भूमि, प्रतिवादी सं. 3 का 1/3 हिस्सा भूमि हिस्से में आई। उक्त वाद भूमि वादीगण की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है जिसमें वादीगण का जन्मजात हक हिस्सा है प्रतिवादी संख्या 1 कर्ता हिन्दु खानदान होने के कारण वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के अकेले के नाम दर्ज हो गई उक्त वाद भूमि में वादीगण का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ जन्म जात हक हिस्सा है। वाद भूमि पर वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 काबिज है जिसकी वादीगण न्यायालय से घोषणा करवा पाने का अधिकारी है। यही बिनाय़ दावा है।

वादीगण ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादीगण के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादीगण के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादीगण का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं0 1 ता 3 ने जरिये अधिवक्ता वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 को कोई ऐतराज नही है। प्रतिवादी संख्या 4 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य नवीनतम व पुरानी जमाबंदी पेश की जो की शामिल मिसल की गई।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीगण ने कथन किया कि उपरोक्त कृषि भूमि पूर्व में वादीगण के दादा धर्मपाल के नाम दर्ज थी तथा वादीगण के दादा धर्मपाल की मृत्यु के बाद उनके वारिसान उनके पुत्रगण एवं पत्नि के नाम दर्ज हुई तथा प्रतिवादी सं. 1 के हिस्से में रोही मौजा चक 10 जी.जी.एम तहसील नोहर के खाता सं. 38/37 की कुल 7 किता की 0.9730 हैक्टर भूमि जिसमें प्रतिवादी सं. 1 का 1/3 हिस्सा भूमि, प्रतिवादी सं. 2 अकेला 1/3 हिस्सा, एवं प्रतिवादी सं. 3 का 1/3 हिस्सा भूमि एवं रोही मौजा दिलकी जाटान तहसील नोहर के खाता सं. 62/74 के ख.न. 38 की 6.8060 हैक्टर भूमि जिसमें प्रतिवादी सं. 1 का 1/30 हिस्सा भूमि, प्रतिवादी सं. 2 का 1/30 हिस्सा भूमि प्रतिवादी सं. 3 का 1/30 हिस्सा भूमि एवं रोही [illegible] तहसील नोहर के खाता सं. 34/34 की कुल तादादी 0.2530 हैक्टर भूमि [illegible] हिस्सा भूमि प्रतिवादी सं. 2 का 1/3 हिस्सा भूमि, प्रतिवादी [illegible] भूमि हिस्से में आई। उक्त वाद भूमि वादीगण की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है जि[illegible] वादीगण का जन्मजात हक हिस्सा है प्रतिवादी संख्या 1 कर्ता हिन्दु खानदान होने के कारण वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के अकेले के

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.07.16 18:10:08 IST
Reason: SelfAttested

नाम दर्ज हो गई उक्त वाद भूमि में वादीगण का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ जन्म जात हक हिस्सा है। वाद भूमि पर वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 क़ाबिज है जिसकी वादीगण न्यायालय से घोषणा करवा पाने का अधिकारी है। प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण के वाद को स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादीगण के वाद के संबंध में कोई एतराज नही है। अतः वादीगण का वाद डिक्री फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादीगण ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादीगण के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार कि सेही मौजा चक 10 जी.जी.एम तहसील नोहर के खाता. सं. 38/37 प.न. 383/470 मु.न. 24 के किला नं. 9/1 की 0.0380 हैक्टर, 11/2 की 0.1770 हैक्टर भूमि, 12/2 की 0.1890 हैक्टर, 13/2 की 0.1900 हैक्टर, 14/2 की 0.1890 हैक्टर, 15/1 की 0.1740 हैक्टर, 15/2 की 0.0160 हैक्टर भूमि कुल 7 किता की 0.9730 हैक्टर भूमि स्थित है जिसमें प्रतिवादी सं. 1 का 1/3 हिस्सा एवं प्रतिवादी सं. 2 का 1/3 हिस्सां एंव ' प्रतिवादी सं. 3 का 1/3 हिस्सा, भूमि एवं ढिलकी जाटान तहसील नोहर के खाता सं. 62/74 के ख.न. 38 की 6.8060 हैक्टर भूमि स्थित है जिसमें प्रतिवादी सं. 1 का 1/30 हिस्सा एवं प्रतिवादी सं. 2 का 1/30 हिस्सा, एवं प्रतिवादी सं. 3 का 1/30 हिस्सा भूमि का खातेदार काश्तकार है, एवं रोही मौजा चक 9 जी.जी.एम. तहसील नोहर के खाता सं. 34/34 के प.न. 386/437 मु.न. 58 किला नं. 2 की 0.2530 हैक्टर भूमि स्थित है जिसमें प्रतिवादी सं. 1 अकेला 1/3 हिस्सा भूमि, प्रतिवादी सं. 2 अकेला 1/3 हिस्सा, एवं प्रतिवादी सं. 3 अकेला 1/3 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार है। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से उक्त वाद भूमि पैतृक भूमि होना साबित है तथा उभयपक्ष ने भी उक्त वाद भूमि हिन्दु परिवार की साझा आय से अर्जित पैतृक कृषि भूमि होना जाहिर किया है। वादी द्वारा पत्रावली में दर्शाये गये सजरा खानदान के अलावा प्रतिवादी संख्या 1 के अन्य कोई वारिस नही होना स्वीकार किया गया है। प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल पेश किया गया है कि वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 को कोई एतराज नही है। अतः वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 10 जी.जी.एम तहसील नोहर के खाता सं. 38/37 की कुल 7 किता की 0.9730 हैक्टर भूमि जिसमें प्रतिवादी [illegible] 1 [illegible] 1/3 हिस्सा भूमि में वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 ब.हि.ब. के खातेदार [illegible] जाता है एवं रोही मौजा दिलकी जाटान तहसील नोहर के खाता सं. 62/74 के [illegible]न. 38 की 6.8060 हैक्टर भूमि जिसमें प्रतिवादी सं. 1 का 1/30 हिस्सा भूमि वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 ब.हि.ब. के खातेदार काश्तकार

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.07.16 18:10:08 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

घोषित किया जाता है एवं रोही मौजा चक 9 जी.जी. एम. तहसील नोहर के खाता सं. 34/34 की कुल तादादी 0.2530 हैक्टर भूमि में से प्रतिवादी सं. 1 का 1/3 हिस्सा भूमि वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 ब.हि.ब. के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 21/07/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.07.16 18:10:08 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 533/2024

अनवान : –

1. विक्रम सिंह पुत्र पवन कुमार जाति जाट निवासी दिलकी जाटान तहसील नोहर।
2. अजीत सिंह पुत्र पवन कुमार जाति जाट निवासी दिलकी जाटान तहसील नोहर

– वादीगण

बनाम्

1. पवन कुमार पुत्र धर्मपाल जाति जाट निवासी दिलकी जाटान तहसील नोहर।
2. लीलाधर पुत्र धर्मपाल जाति जाट निवासी ढिलकी जाटान तहसील नोहर
3. गिरदावरी पत्नि धर्मपाल जाति जाट निवासी दिलकी जाटान तहसील नोहर
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
5. पंजीयक कार्यालय उप तहसील रामगढ़ तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 533 सन 2024 निर्णय दिनांक 01/07/2025

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री नरेन्द्र किशोर जोशी एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 10 जी.जी.एम तहसील नोहर के खाता सं. 38/37 की कुल 7 किता की 0.9730 हैक्टर भूमि जिसमें प्रतिवादी सं. 1 का 1/3 हिस्सा भूमि में वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 ब.हि.ब. के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं रोही मौजा दिलकी जाटान तहसील नोहर के खाता सं. 62/74 के ख.न. 38 की 6.8060 हैक्टर भूमि जिसमें प्रतिवादी सं. 1 का 1/30 हिस्सा भूमि वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 ब.हि.ब. के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं रोही मौजा चक 9 जी.जी. एम. तहसील नोहर के खाता सं. 34/34 की कुल तादादी 0.2530 हैक्टर भूमि में से प्रतिवादी सं. 1 का 1/3 हिस्सा भूमि वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 ब.हि.ब. के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 01/07/2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.07.16 18:10:08 IST
Reason: SelfAttested